



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-75/2023-24

सरकार

बनाम्

देवनारायण यादव एवं अन्य

—: आदेश :—

16/1/24

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला ललमटिया थाना काण्ड संख्या-83/2023 दिनांक-19.09.2023 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने अपने पत्रांक-5152/अप0शा0 दिनांक-18.12.2023 से धारा-379/411 भा0द0वि0, 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट-1973 के तहत कांड में जप्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0-JH17P-1442, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0-JH17M-6538 एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0-JH17B-7592 तथा उस पर लदे कोयला को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी स0अ0नि0, ललमटिया के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0-JH17P-1442, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0-JH17M-6538 एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0-JH17B-7592, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध अवैध रूप से कोयला की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या-02 में इस कांड को धारा-379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004, 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट-1973 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0-JH17P-1442, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0-JH17M-6538 एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0-JH17B-7592, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0-JH17P-1442, के मालिक देवनारायण यादव, पिता-स्व0 बासुदेव यादव, सा0-बैजनाथपुर, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0-JH17M-6538, के मालिक सुमित कुमार मंडल,

पिता-विनोद मंडल, सा0-धनकुण्डा, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0-JH17B-7592, के मालिक मो0 मुख्तार अंसारी, पिता-खुदाबक्स अंसारी, सा0-खेरीबाड़ी, थाना-सुन्दरपहाड़ी, जिला-गोड्डा के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0-JH17P-1442, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0-JH17M-6538 एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0-JH17B-7592 एवं उस पर कोयला के विरुद्ध धारा-379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004, 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट-1973 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी सुमित कुमार मंडल की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है।

विपक्षी का कथन है कि विपक्षी घरेलु उपयोग के लिए जप्त वाहन में एक क्वींटल कोयला लदा गया था। उसी क्रम में विपक्षी के वाहन को जप्त किया गया है। विपक्षी पहले किसी भी अपराधिक कृत्य में शामिल नहीं पाया गया है। विपक्षी के जप्त वाहन को राजसात से विमुक्त करने की कृपा की जाय।

सरकारी वकील का कथन है कि जप्त वाहन अवैध कोयला के परिवहन में जप्त किया है। इसलिए राजसात किया जा सकता है।

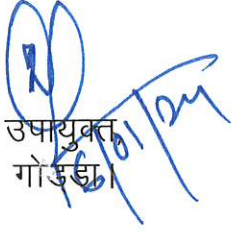
पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि धारा-379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004, 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट-1973 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन सं0-JH17P-1442, 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0-JH17M-6538 एवं 3. मोटरसाईकिल निबंधन सं0-JH17B-7592, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध सत्य पाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण के द्वारा अवैध रूप से कोयला का परिवहन किया जा रहा था।

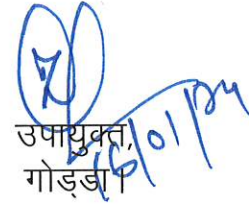
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में काण्ड में जप्त 2. मोटरसाईकिल निबंधन सं0-JH17M-6538 तथा उस पर लदे कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा/जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा/जिला परिवहन

पदाधिकारी, गोड्डा/थाना प्रभारी, ललमटिया को दें। अन्य विपक्षी के द्वारा कारण-पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। उन्हें अंतिम मौका दिया जाता है।

अभिलेख दिनांक- 6/2/24 को उपस्थापित करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपाधुक्ता
गोड्डा।


उपाधुक्ता
गोड्डा।

6/2/24

सरकारी वकील की हाजरी पड़ी है।
विपक्षी ① देवनायरा यादव अनुपस्थित
② सोम मुख्तार अंसारी अनुपस्थित।

